न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

C.A. ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर

(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 127 / 199 132/2013

विनोद कुमार दत्तक पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी तन खिरोड़, तहसील नवलगढ़ झुन्झुनूं (राज0)

दायर दिनांक–10.06.1999 19/6/13

C.A. ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ़

–––––वादी

बनाम

1. किशनाराम पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी, तन खिरोड़ तहसील–नवलगढ़, जिला – झुन्झुनू (राज0)
2. राजस्थान ग्रामीण बैक, खिरोड़ जरिये शाख प्रबन्धक
3. तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू राज.।
4. सोहन कंवर पुत्री करणीदान सिंह।
5. उप पंजीयक, नवलगढ़ उप पंजीयन कार्यालय नवलगढ़ तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू राज.।

–––प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सज्जन कुमार चाहर
वकील प्रति॰ नं॰ :– एकपक्षीय

दावा : घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 05–04–2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वादी द्वारा वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम कैमरी की ढाणी पटवारी हल्का खिरोड़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 12 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 355 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 365 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 461 / 350 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.22 हैक्टर स्थित है। जिसे वाद पत्र में आगे विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। जिसमें वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 पैत्रिक विरासत की भूमि के रूप में खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 की पैत्रिक सम्पति है जिसमें वादी का 1/2 नोशनल हिस्सा है।

वादी प्रतिवादी नम्बर 1 का दत्तक पुत्र है वादी को प्रतिवादी नम्बर 1 ने पांच वर्ष की उम्र में ही जाट समाज व हिन्दू धर्म में प्रचलित गोद लेने की तमाम रश्म अदा करके रामनवमी के दिन वादी के माता पिता की सहमति से मंगल गीत गुवाकर व हवन करवाकर, गुड व पतासे बांटकर अपनी गोद में बैठाकर गोद ले लिया था उसके बाद से ही वादी प्रतिवादी नम्बर 1 के पास उसके पुत्र की हैसियत से रहता रहा है, तथा वादी के हक में गोदनामा भी दिनांक 24.01.2004 को उप पंजीयन कार्यालय नवलगढ़ में पंजिबद्ध हो चुका है। जो उप पंजीयन कार्यालय नवलगढ़ में दिनांक 24.01.2004 को पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 3 पृष्ट संख्या 87 कम संख्या 6 पर पंजिबद्ध किया गया है। इस प्रकार वादी के गोद आते ही किशनाराम की सम्पति में वो समस्त कानूनी हक व अधिकार उत्पन्न हो गये जो जायन्दा पुत्र के होते है।

वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त काश्त की भूमि में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 का प्रत्येक का 1/2 हिस्सा है लेकिन पैत्रिक भूमि होने के नाते काश्त की भूमि में हक अधिकार कब्जा व काश्त शामलाती चला आ रहा है, उपरोक्त भूमि में वादी 1/2 हिस्से का खातेदार है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 भी 1/2 हिस्से में खातेदार काश्तकार है इससे अधिक प्रतिवादी नम्बर 1 को [illegible] अधिकार प्रापत नहीं है।

प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमाफिया व [illegible] आदत खराब हो गई है जिसके कारण प्रतिवादी नम्बर 1 भूमाफिया से साज [illegible] अवैध रूप से बिना अधिकार के वादी 1/2 हिस्से व अपने 1/2 हिस्से सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने को आमादा है यद्यपी प्रतिवादी नम्बर 1 को [illegible] शामलाती खातेदारी [illegible] है जिससे ऐसा करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है क्योंकि उपरोक्त भूमि शामलाती खातेदारी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:45:56 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ़

प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह खातेदार का कब्जा माना जाता है और उसका विभाजन करवाये बिना प्रतिवादी नम्बर 1 को भूमि विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पैत्रिक होने के कारण वादी को उपरोक्त काश्त की भूमि में गोद आने के वक्त से ही हक अधिकार व हिस्सा चला आ रहा है इस प्रकार उपरोक्त भूमि में वादी का 1/2 संयुक्त अविभाजित पैत्रिक हिस्सा है। लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 लोगो के बहकावे में आकर वादी को उसके वैद्य अधिकारों से वंचित करने के लिये साजिसी तौर पर बाला बाला अपने हिस्से से अधिक भूमि विक्रय करने को आमादा है जबकि शामलाती पुश्तैनी भूमि का विधिवत बटवारा करवाये बिना कोई हिस्सा विक्रय करने का व अपने हिस्से से अधिक भूमि को रहन व विक्रय करने का प्रतिवादी नम्बर 1 का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है।

अगर प्रतिवादी नम्बर 1 ने उपरोक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने की अपनी इस नाजायज मंशा से सफल हो गया तो वादी अपनी भूमि से बेदखल हो जायेगा जिससे वादी को अपूरणीय नुकसान होगा जिसका क्षतिपूर्ति किसी भी हालत में सम्भव नहीं हो सकेगी तथा वादी को हर साल की फसल के दावे करने पड़ेगे तथा फसल का कोई अन्दाजा नहीं लग सकेगा तथा जिससे मुकदमें बाजी बढेगी, समय व धन की बर्बादी होगी। इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

दिनांक 15.06.2013 को प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादी को ऐलानियां धमकी दी कि मै उपरोक्त भूमि को किसी तीसरे व्यक्ति को विक्रय करूगा या उपरोक्त भूमि को फिर से किसी बैक या वित्तीय संस्था के यहां रहन रखकर ऋण प्राप्त कर लूंगा तब वादी ने राजस्व रिकार्ड के नकले ली तो वादी को गलत राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी हुई अब गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी होते ही शीघ्र से शीघ्र दुरूस्ती रिकार्ड व विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जा रहा है।

विवादग्रस्त भूमि में वादी अपने दादा माधाराम की पैतृक विरासत की भूमि के रूप में रिकॉडेड खातेदार काश्तकार है तथा वाद पुत्र की मद संख्या 1 में वर्णित पैतृक भूमि होने के कारण वादी को उपरोक्त काश्त की भूमि में गोद आते ही पैतृक हक अधिकार व हिस्सा चल आ रहा है तथा संयुक्त अविभाजित पैत्रिक हिस्सा चला आ रहा है तथा संयुक्त अविभाजित पैतृक हिस्सा है। इसलिये कानून राजस्व रिकार्ड में दूरूस्ती की जाकर विवादगस्त भूमि की खातेदारी वादी के हिस्से के अनुसार रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर वादी को विवादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना निहायत ही आवश्यक है। इस गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में वादी को उसके वैध अधिकारों से वंचित किया जा सकता है हांलाकि ऐसा करने का प्रतिवादी नम्बर 1 को कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। न ही गलत राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी नम्बर 1 को कानूनी अधिकार पैदा होते है परन्तु कानून को हाथ में लेकर वादी को वैध अधिकारों से वंचित करने की प्रतिवादी नम्बर 1 आमादा है तथा गलत राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर भूमि को खुद बुर्द करने को आमादा है, इसलिये वादी को अपने वैध अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद रिकार्ड दूरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रतिवादी नम्बर 1 अवैध रूप से भूमि का हस्तान्तरण कर भूमि का विक्रय पत्र अन्य व्यक्ति को कराने को आमादा है। इससे वादी सख्त हक तलफी होगी और वादी को अपने हक व हिस्से की भूमि से वंचित होना पड़ेगा क्योंकि आज तक उपरोक्त भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। वादी उपरोक्त भूमि का विधिवत बंटवारा करवाना चाहता है इसलिए दावा बाबत विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रतिवादी नम्बर 3 व 7 राज्य सरकार के प्रतिनिधि व लोक सेवक है जिससे विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व 2 माह का नोटिस दिया जना आवश्यक है। परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण यदि वादी को दो माह का नोटिस देकर दावा पेश करते है तो वादी का दावा पेश करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा और प्रतिवादी नम्बर 1 अपनी नाजायज मंशा में सफल हो जायेगा इसलिए वादी बिना नोटिस दिये ही दावा पेश कर रहा है जिसकी अनुमति हेतु धारा 80 (2) सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है।

विवादग्रस्त भूमि राजस्थान ग्रामीण बैंक, [illegible] शाखा खिरोड़ के यहां रहन होने के कारण से प्रतिवादी नम्बर 2 बनाया गया है।

बिनायमुखासमत दावा हाजा के लिए दिनांक 15.06.2013 [illegible] उपरोक्त भूमि को विक्रय अथवा फिर से रहन करने की धमकी देने के रोज व दिनांक 18.06.2013 [illegible] रिकार्ड की नकल लेने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

विवादग्रस्त भूमि व फरिकेन दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में [illegible] अतः न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय परिशिष्ट के प्रावधानों के तहत उक्त वाद सुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (का. दे.)
नवलगढ़

37

प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 उपरोक्त भूमि का विक्रय पत्र तस्दीक करने व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने की कोशिश में है इसलिये उन्हे प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 बनाया गया है।

वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर अनुतोष के संबंध मे निवेदन किया कि :-

(क) वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे व वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित काश्त की भूमि खाता संख्या 12 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 355 रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 365 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा 461/350 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.22 हैक्टर में वादी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्से का खाता वादी के नाम अलग कायम कर बंटवारा किया जाकर स्वतंत्र लगान व सीमा कायम की जावें।

प्रतिवादी नम्बर 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह धारा 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 12 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 355 रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 365 रकबा 1.15 हैक्टर खसरा नम्बर 461/350 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.22 हैक्टर पर जबरन कब्जा कर वादी को भूमि से बेदखल नहीं करे और ना ही वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करवाये, तथा ना ही गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि का विक्रय हस्तान्तरण नहीं करे। और न ही किसी वित्तीय संस्था या बैक के यहां दूबारा रहन करें तथा हस्तान्तरण करें तथा प्रतिवादी नम्बर 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा उपरोक्त भूमि का कोई हस्तान्तरण प्रलेख/रहननामा किसी भी किश्म का प्रस्तुत करने पर उसका पंजीयन नहीं करें। तथा प्रतिवादी नम्बर 3 को पाबन्द किया जावे कि वह उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। यदि दौराने दावा वादी को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया जावे या उक्त भूमि को किसी तरह से खूर्द बुर्द या हस्तान्तरण कर दिया जावे तो उसका कब्जा पुनःवादी को दिलवाया जावे व हस्तान्तरण प्रलेख को वादी के अधिकारियों को प्रभावित करने की सीमा तक नल एण्ड वोईड करार दिया जावें।

अन्य कोई सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो व वादी के हित में हो वह भी वादी को अन्तर्गत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवाई जावें। खर्चा व हर्जा मुकदमा दिलवाया जावें।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलब प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। प्राप्त तलबी एवं रजिस्टर्ड डाक की रसीदे प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की ओर से एक माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी उपस्थित नही होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगणो के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में विवाद्यक बिन्दु यानि तनकीयात कायम किया आवश्यक नही होने पर सीधे ही शहादत ली गई। शहादत वादी में वादी विनोद कुमार दतक पुत्र श्री किशनाराम जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी तन खिरोड़ तथा गवाहान् महेंन्द्र सिह पुत्र श्री गोरूराम जाति जाट निवासी तुर्कानी जोहडी व गवाह महेश चौधरी पुत्र श्री नोपाराम जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी तन खिरोड़ उपस्थित न्यायालय होकर अपने चीफ के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। इसके अतिरिक्त अन्य कोई शहादत वादी पेश नही करना जाहिर किया गया। शहादत वादी बंद की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रदर्श-1 गोदनामा, प्रदर्श-2 जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070, प्रदर्श-3 नक्शा ट्रेश, प्रदर्श-4 जमाबंदी सम्वत् 2063-2066, प्रदर्श-5 मिलान क्षैत्रफल समवत 2046-2049, प्रदर्श-6 मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985, प्रदर्श-7 जमाबंदी आधार वर्ष 2043, प्रदर्श-8 जमाबंदी सम्वत् 2047 से 2050, प्रदर्श-8 जमाबंदी सम्वत् 2051 से 2054, प्रदर्श-9 जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058, प्रदर्श-10 जमाबंदी सम्वत् 2026 से 2030, प्रदर्श-11 नकल जमाबंदी सम्वत् 2031 से 2034 आदि प्रदर्शित कराये गये।

शहादत होने पर बहस वकील वादी सुनी गयी। वकील वादी द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा उसने कथन किया गया प्रकरण में विभाजन की रिलीफ भी डिमाण्ड की गई है, तो वादी को रिलीफ की डिमाण्ड नही करवाना चाहता है। वकील वादी ने विभाजन की रिलीफ को छोड़ते हुये शेष रिलीफ प्रदान कर वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली [illegible] दस्तावेजात [illegible] अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम कैमरी की ढाणी पटवार [illegible] की सरहद में भूमि खाता संख्या 12 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 355 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 365 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 461/350 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.22 हैक्टर [illegible]त है, जिसमें वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 पैत्रिक विरासत की भूमि के रूप में खातेदार काश्तकार है प्रदर्श- 10 व 11 नकल जमाबंदी सम्वत् 2026 से 2030

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ़

व सम्वत् 2031 से 2034 से सिद्ध होता हैं सम्वत् विवादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 की पैतृक सम्पति होने वादी का 1/2 नोशनल हिस्सा बनना तय होता है जो प्रदर्श 10 व 11 बनना सिद्ध होता है।

वादी प्रतिवादी नम्बर 1 का दत्तक पुत्र है वादी को प्रतिवादी नम्बर 1 ने पांच वर्ष की उम्र में ही वादी के माता पिता की सहमति गोद गया है। वादी के हक में गोदनामा भी दिनांक 24.01.2004 को उप पंजीयन कार्यालय नवलगढ़ में पंजिबद्ध हो चुका है। जो उप पंजीयन कार्यालय नवलगढ़ में दिनांक 24.01.2004 को पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 3 पृष्ट संख्या 87 कम संख्या 6 पर पंजिबद्ध किया गया है, जो प्रदर्श 1 से प्रमाणित होता है। इस प्रकार वादी के गोद आने से किशनाराम की सम्पति में वे समस्त कानूनी हक व अधिकार उत्पन्न हो गये जो जायन्दा पुत्र के होते है।

वादग्रस्त काश्त की भूमि में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 का प्रत्येक का 1/2 हिस्सा है लेकिन पैतृक भूमि होने के नाते काश्त की भूमि में हक अधिकार कब्जा व काश्त शामलाती है, उपरोक्त भूमि में वादी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 भी 1/2 हिस्से में खातेदार काश्तकार है। विवादग्रस्त भूमि पैतृक होने के कारण वादी को विवादग्रस्त काश्त की भूमि में गोद आने के वक्त से ही हक अधिकार व हिस्सा कानूनन हक अधिकारी बनता है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि में वादी का 1/2 संयुक्त अविभाजित भूमि पैतृक हिस्सा है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी की शामलाती अविभाजित राजस्व रिकार्ड की भूमि है, जिसका आज तक कोई विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है, कानूनन शामलाती अविभाजित भूमि के प्रत्येक ईंच पर प्रत्येक खातेदार का काब्जा काश्त रहता है। अतः वादी को विभाजन करवाने का अधिकारी है तथा अपने हक अधिकार की भूमि घोषणा करवाने का अधिकारी है। विवादग्रस्त सम्पति पैतृक सम्पति की भूमि है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः वाद से वादी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम कैमरी की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 12 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 355 रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 365 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा 461/350 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.22 हैक्टर में वादी को 1/2 तथा प्रतिवादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की घोषित खातेदारी की भूमि किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न करे। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकार्ड में मुताबिक निर्णय अमल दरामद किया जावे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ
दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

दावा बंटवारा जमीन
अ.धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा सं0:– 132 / 2013

(विनोद कुमार बनाम किशनाराम आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 05.04.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम कैमरी की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 12 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 355 रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 365 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा 461 / 350 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.22 हैक्टर में वादी को 1/2 तथा प्रतिवादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की घोषित खातेदारी की भूमि किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न करे। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकार्ड में मुताबिक निर्णय अमल दरामद किया जावे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो।
जिन............–............ मुबलिग............–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–..........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.04.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
		मुतफरिक	0.00
मुतफरिक मिजान	04.00		0.00
कुल	10.00		

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:15:56 IST
Reason: SelfAttested